'बेटे को लीक पेपर से बनाया एसआई, जीजा के लिए 10 लाख में बैठाया डमी'

एसओजी ने एस.आई. भर्ती पेपरलीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की उपनिरीक्षक (एसआई) भर्ती परीक्षा-2021 में पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा पास कराने के मामले में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें अपने बेटे को परीक्षा से पहले लीक प्रश्नोत्तर पढ़वाकर एसआई बनवाने का आरोपी 10 हजार रुपए का इनामी पिता और अपने जीजा को भर्ती कराने के लिए डमी अभ्यर्थी बैठाने वाला आरोपी शामिल है। एसओजी के अनुसार, इस प्रकरण में अब तक 154 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में हरमाड़ा, जयपुर निवासी देवेन्द्र कुमार सैनी (51) और बालोतरा जिले के डांगरिया निवासी डूंगर प्रकाश (33) शामिल हैं। दोनों मामलों में जांच के दौरान परीक्षा में गड़बड़ी और चयन के लिए अपनाए गए कथित तरीकों का खुलासा हुआ है।

- **आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा से जुड़े लीक प्रश्नोत्तरों से बेटे को तैयारी कराने का आरोप**
- **डमी अभ्यर्थी के जरिए जीजा ने हासिल की थी 154वीं रैंक, मामले में अब तक 154 आरोपी गिरफ्तार**

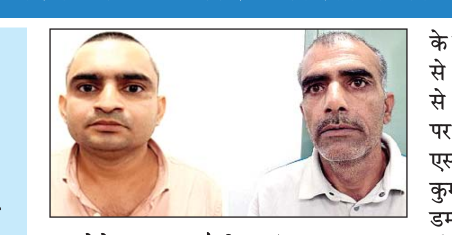

देवेन्द्र कुमार सैनी व डूंगर प्रकाश

लीक प्रश्नोत्तर पढ़ाकर कराया चयन

एसओजी की जांच में सामने आया कि देवेन्द्र कुमार सैनी ने पूर्व में गिरफ्तार राजकुमार यादव के माध्यम से आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा द्वारा लीक किए गए प्रश्नपत्र और उनके उत्तर अपने बेटे रविन्द्र सैनी को परीक्षा से पहले पढ़वाए थे। आरोप है कि लीक प्रश्नोत्तर की मदद से रविन्द्र ने लिखित परीक्षा पास की और एसआई पद पर अंतिम चयन हासिल कर लिया।

देवेन्द्र लंबे समय से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित था। उसके बेटे रविन्द्र पर भी 10 हजार रुपए का इनाम है, जो अभी फरार है। जांच में यह भी सामने आया कि देवेन्द्र ने राजकुमार यादव के माध्यम से एक अन्य व्यक्ति के बेटे भरत यादव को भी लीक प्रश्नोत्तर पढ़ने में मदद की थी, लेकिन भरत का अंतिम चयन नहीं हो सका। देवेन्द्र ने जयपुर महानगर-द्वितीय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इसके बाद न्यायालय ने उसे पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया। एसओजी उससे पूछताछ कर मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है।

10 लाख रुपए में डमी बैठाया

दूसरे मामले में एसओजी ने बालोतरा जिले के डांगरिया निवासी डूंगर प्रकाश को गिरफ्तार किया है। जांच के अनुसार, उसने अपने बहनोई अशोक कुमार विश्नोई निवासी मोखातरा, जालोर को एसआई बनवाने के लिए डमी अभ्यर्थी बैठाने का इंतजाम किया था। आरोप है कि 15 सितंबर 2021 को आयोजित भर्ती परीक्षा की दोनों पारियों में अशोक की जगह जालोर जिले के इसरोल निवासी कमलेश कुमार को बैठाया गया। इसके लिए 10 लाख रुपए में सौदा तय किया गया था। डमी अभ्यर्थी के जरिए परीक्षा दिलाने के बाद अशोक कुमार ने हिंदी विषय में 200 में से 180.94 अंक और सामान्य ज्ञान में 200 में से 138.36 अंक हासिल किए। इसके आधार पर उसे मेरिट में 154वीं रैंक मिली और उसका एसआई पद पर चयन हो गया। एसओजी अशोक कुमार को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब डमी अभ्यर्थी बैठाने के मामले में डूंगर प्रकाश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। डूंगर प्रकाश को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 17 अक्टूबर 2026 तक पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया गया। एसओजी उससे पूछताछ कर साजिश में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है। एसओजी के अनुसार, एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में पेपर लीक और डमी अभ्यर्थियों के जरिए चयन कराने से जुड़े मामलों की जांच जारी है। एसओजी का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर भर्ती परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं, लीक प्रश्न पत्र के प्रसार और डमी अभ्यर्थियों की व्यवस्था में शामिल अन्य लोगों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। मामले में अब तक कुल 154 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

बुकिंग कीमत पर ही फ्लैट देने के आदेश

जयपुर। राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग ने फ्लैट खरीदार निर्मला कंवर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए श्रीराम बालाजी डवलपर्स को बुकिंग के समय तय कीमत पर ही फ्लैट का आधिपत्य सौंपने के निर्देश दिए है। आयोग ने जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर के आदेश में संशोधन करते हुए बिल्डर की ओर से वर्तमान बाजार मूल्य पर फ्लैट देने के निर्णय को बदला।

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रियंक पारीक ने पैरवी करते हुए तर्क दिया कि निर्माण में देरी का अतिरिक्त आर्थिक भार खरीदार पर नहीं डाला जा सकता। आयोग ने तर्कों और साक्ष्यों से सहमत होकर यह आदेश दिया।

षष्ठम् पुण्यतिथि

In Memory of our Beloved Daughter
SHAILLY JAIN
(16.10.2020)
मेरे जीवन की वीणा, मधुर संगीत थी तुम।
तुम से ही शुरू जिन्दगी, तुम से ही अंत।
जीवन जीने का एक विशिष्ट अंदाज थी तुम।।
.... मम्मी
Love You MAMMA
Miss You... ANAISHA
Dr. Prakash Nagori-Dr. Anita (Father-Mother), Pulkit Surana (Husband), Anaisha (Daughter)
All Relatives & Friends

खोया पाया

मेरे आवास संख्या 64-A, हनुमंत विहार, मांग्यावास, मानसरोवर, जयपुर के मूल रजिस्ट्री पेपर (सेल डीड) जो कि प्रमिला देवी के नाम से है खो गये है कृपया मिलने पर सूचित करें मीना/ D/o Kishan Chand W/o Vijay Kumar Mob 7340108763

मेरे मकान नं. 82/79, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर का Allotment Letter, Possession Letter श्रीमती नाथी गोयल द्वारा जारी Power of Attorney, एवं नाथी गोयल का Death Certificate, No Dues Certificate कहीं खो गये हैं। कृपया मिलने पर सम्पर्क करें- 8619148269

मेरे मकान सं. 85/775, प्रताप नगर सांगानेर जयपुर का मूल अदेय प्रमाण पत्र कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सम्पर्क करें- 6375856902

मेरे भूखंड सं. बी-16 पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना केशव विहार जयपुर का सोसाइटी से जारी मूल साईट प्लान कही गुम हो गया है मिलने पर सूचित करे- कमला मीना मो. 8890661818

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम Kanha Bansal से बदलकर Jatin Bansal पुत्र सुनील बंसल निवासी-कमल गट्टा कॉलोनी, नियर जय निवास उद्यान ताल कटोरा, जयपुर रख लिया है, भविष्य में मुझे जतिन बंसल Jatin Bansal के नाम से जाना पहचाना जावें।

मैं, यशिका जैन, पत्नी श्री अंकित जैन, निवासी- 5, कमल मेंशन, M.I. रोड, जयपुर - 302001, ने अपनी बेटी का नाम डेलिशा से बदलकर डेलिशा जैन कर दिया है, भविष्य में मेरी बेटी को उसके नए नाम से जाना जाए।

मैं विक्रम सिंह पुत्र गणेश राम जाट निवासी करड तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर मेरी पुत्री हिमाक्षी चौधरी (Himakshi Choudhary) की मार्कशीट एवं टी.सी. में माता का नाम रीना दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि सही नाम रीना चौधरी (Reena Choudhary) है।

I No 4213299Y NK Basant kumar My Mother name is USHA DEVI has been wrongly recorded in the military records.while according to the Aadhaar card the correct name is USHA .Affidavit no is IN-AS70898220851886Y.

I No 4202630F Hav Chandra Bali Yadav My Mother name is JARAWATI DEVI has been wrongly recorded in the military records.while according to the Aadhaar card the correct name is JADAWATI .Affidavit no is IN-AS70898508458737Y.

आम सूचना

मेरे अभिभाष्य बुद्धप्रकाश पुत्र श्री जमनालाल, निवासी 150, व्यास कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर के पुत्र सोनू व पुत्रवधु सुमन मेरे अभिभाष्य के कहने में नहीं है काफी समय से अलग निवास करते है। मेरे अभिभाष्य द्वारा दोनों से अपने समस्त सम्बन्ध/व्यवहार व रिश्ते समाप्त कर अपनी तमाम चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। इनसे जो भी कोई संव्यवहार करेगा तो वह स्वयं उत्तरदायी होगा।
(योगेश अग्रवाल) एडवोकेट, मो. 9351450501

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरी अभिभाष्या श्रीमती सजना देवी कुमावत पत्नी श्री पूरणमल कुमावत, निवासी-12-ई, जीवन दीप कॉलोनी-2, एस.टी.सी. विद्यालय, सीकर रोड, जयपुर के स्वामित्व की भूमि स्थित 2-बी, जीवन दीप कॉलोनी, रोड नम्बर-14, सीकर रोड, जयपुर का असल पट्टा मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति लि. का पट्टा 16-ए, करणी टॉवर, विद्याधर नगर, जयपुर से गुम हो गया है, जिसकी तलाश करने पर नहीं मिला है। उक्त पट्टे के आधार पर मेरी उक्त अभिभाष्या की सम्पत्ति का कोई दुरूपयोग न करे, नही कोई क्रय-विक्रय का संव्यवहार करे, नही उक्त पट्टे के आधार पर मेरी उक्त अभिभाष्या की सम्पत्ति पर कोई भार, चार्ज आदि क्रियेट करे, गुमसुदगी की सूचना पुलिस थाना विद्याधर नगर, जयपुर को दे दी गयी है। उक्त असल पट्टे के आधार पर किया गया प्रत्येक संव्यवहार मेरी उक्त अभिभाष्या के अधिकारों के प्रति प्रभावशून्य होगा। अतः सूचित रहे।
जयपुर सतीश मोदी, एडवोकेट, मो.-9314833316

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत-प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक:4163 जाहिर आम-सूचना दिनांक:05.10.2026
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास/ फ्लैट संख्या 31/373(LIG) का आवंटन श्री राम शरण खण्डेलवाल पुत्र श्री सिया राम मामोडिया को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 2871 दिनांक 29.10.1997 को जारी किया गया था। जिसका नियमितिकरण पत्र क्रमांक 1072/5120 दिनांक 11.01.2008 के द्वारा श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह के पक्ष में किया गया। इनके पक्ष में पंजीयन पत्र निष्पादन दिनांक 29.03.2011 को कर दिया गया। श्री लक्ष्मण सिंह की मृत्यु दिनांक 27.11.2015 को हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री वजीर सिंह एवं श्री बादल सिंह पुत्रान स्व. श्री लक्ष्मण सिंह द्वारा आवासन मण्डल में अपना नाम पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री वजीर सिंह एवं श्री बादल सिंह पुत्रान् स्व. श्री लक्ष्मण सिंह का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा। भवदीय,
सम्पदा प्रबन्धक वृत-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

नम्बर मिलाइए
8890333139

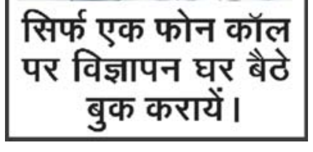

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

प्रेमी युगल को शारीरिक क्षति हुई तो पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार होंगे : हाईकोर्ट

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने डीग पुलिस अधीक्षक को कहा है कि वह याचिकाकर्ता प्रेमी युगल की सुरक्षा से जुडा मुद्दा अपने स्तर पर देखे। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि उन्हें शारीरिक क्षति हुई तो इसके लिए एसपी जिम्मेदार होंगे। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश खुशबु व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता स्वप्निल सिंह पटेल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता बालिग हैं और मर्जी से डीग जिले में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। याचिकाकर्ताओं के परिजन उनके विवाह पंजीकरण से सहमत नहीं है। उन्हें याचिकाकर्ताओं के बारे में जानकारी मिलने पर अब उन्हें धमकाया जा रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हाईकोर्ट के गत 28 सितंबर के आदेश से उन्हें अंतरिम सुरक्षा मिली हुई है। याचिका में कहा गया कि संबंधित थानाधिकारी याचिकाकर्ताओं के परिजनों के प्रभाव में हैं। जिसके चलते याचिकाकर्ता भय में जी रहे है और उन्हें अपनी जान और स्वतंत्रता का खतरा हो सकता है। ऐसे में उनकी सुरक्षा की जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित एसपी को इस संबंध में अपने स्तर पर कार्रवाई करने को कहा है।

देवनानी ने डीजीपी को विधानसभा बुलाया

जयपुर। राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विगत दिनों विधायक और पूर्व विधायक के साथ हुई घटनाओं पर पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा को विधानसभा में बुलाकर उनसे चिंता व्यक्त करते हुए कानून व्यवस्थाओं पर चर्चा की। देवनानी ने पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या करने वाले अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करने के लिए पुलिस महानिदेशक से कहा ताकि अपराधियों को सबक मिल सके और समाज में पुलिस के प्रति विश्वास कायम हो सके। देवनानी ने शर्मा से कहा कि अवतार के साथ पुलिस द्वारा अति की गई है। यह निंदनीय है। लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिसकर्मियों पर विभागीय एवं विधिक कार्रवाई की जानी चाहिए। देवनानी ने इन घटनाओं के बारे में शीघ्र जांच और कठोर कार्रवाई के साथ पुलिस महानिदेशक को ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने के लिए कहा है। स्पीकर देवनानी को शर्मा ने इन सभी घटनाओं पर कठोर कार्रवाई करने के लिए आश्वस्त किया।

डिफॉल्ट जमानत प्रार्थना पत्रों को लेकर हाईकोर्ट ने दिशा-निर्देश दिए

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरोप पत्र पेश करने के लिए तय अवधि बीतने के बाद पेश होने वाले डिफॉल्ट जमानत प्रार्थना पत्रों को लेकर सभी सत्र न्यायाधीशों को दिशा-निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने यह आदेश अशोक कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने डिफॉल्ट जमानत प्रार्थना पत्र पेश होने पर संबंधित अधिकारी या लिपिक प्रार्थना पत्र पर उसे पेश करने की तिथि और समय लिखेगा। इसके अलावा यह भी स्पष्ट रूप से सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित मामले में आरोप पत्र पेश हुआ है या नहीं। इसके अलावा ऐसे जमानत प्रार्थना पत्रों को सुनवाई के लिए उसी दिन पेश किया जाएगा।याचिका में अधिवक्ता कपिल शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ टोडाभीम थाने में बीएनएस और आईटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। इन धाराओं में आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है, इसलिए पुलिस को 90 दिन में आरोप पत्र पेश करना था। जिसकी मियाद गत 6 अगस्त को पूरी हो गई है। इसके बावजूद चिली अदालत ने याचिकाकर्ता की न्यायिक अभिरक्षा को जारी रखा और आरोप पत्र पेश की प्रतीक्षा में मामले की सुनवाई 25 अगस्त तक टाली गई। ऐसे में याचिकाकर्ता ने 18 अगस्त को डिफॉल्ट जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे बीस अगस्त को सुनवाई के लिए रख गया और उसी दिन पुलिस ने आरोप पत्र पेश किया।

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक :- 4204 दिनांक :- 07/10/26
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 115/SP-07, (एरिया 213.39 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री विजय चन्द जैन पुत्र श्री तनसुख लाल जैन को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 2511 दिनांक 03.09.2008 को जारी किया गया। श्री रामनिवास पुत्र श्री मनसा राम को दिनांक 15.05.2007 को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री रामनिवास के द्वारा मुख्त्यारनामा आम की हैसियत से श्री विजय चन्द जैन के पक्ष मे पंजीयन प्रपत्र उप पंजीयक जयपुर-सप्तम के यहाँ दिनांक 18.05.2010 को पंजीकृत करवाये गये। श्री रामनिवास द्वारा मुख्त्यारनामा आम की हैसियत से उक्त आवास को दिनांक 18.06.2010 के द्वारा श्री महेश चन्द्र खण्डेलवाल पुत्र श्री राम दयाल गुप्ता को विक्रय कर उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहां विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया। श्री महेश चन्द्र खण्डेलवाल के आवेदन पर कार्यालय आदेश क्रमांक 2050 दिनांक 28.06.2010 द्वारा नाम दर्ज किया गया। श्री महेश चन्द्र खण्डेलवाल द्वारा उक्त आवास को दिनांक 12.12.2025 के द्वारा श्रीमती आरती मित्तल पत्नी श्री आशीष गोयल को विक्रय कर उप पंजीयक द्वितीय, जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। क्रेता /क्रेती श्रीमती आरती मित्तल पत्नी श्री आशीष गोयल द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास में अपना नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्रीमती आरती मित्तल पत्नी श्री आशीष गोयल का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

फॉर्म जी
जंबो समृद्धि (इंडिया) लिमिटेड के लिए रुचि की अभिव्यक्ति के लिए निमंत्रण
(पहले जंबो फिनवेस्ट (इंडिया) लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
वित्तीय सेवा उद्योग में परिचालन
(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36ए (1) के अंतर्गत)

एसएल.	प्रासंगिक विवरण	
1.	कॉरपोरेट देनदार का नाम पैन/सीआईएन/एलएलपी नंबर के साथ	नाम - जंबो समृद्धि (इंडिया) लिमिटेड (पहले जंबो फिनवेस्ट (इंडिया) लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) पैन - AACCA9784G सीआईएन-U65923RJ1998PLC014961
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	बी-88, बेसमेंट नंबर 1, सूर्य मार्ग, तिलक नगर, जयपुर, राजस्थान 302004
3.	वेबसाइट का URL	https://jumbo.cirp.co.in/
4.	उस जगह की जानकारी जहाँ ज़्यादातर फिक्स्ड एसेट्स मौजूद हैं	तीन ऑफिस अलवर, राजस्थान में हैं और दूसरी चल संपत्ति जयपुर और मुंबई में है।
5.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं की स्थापित क्षमता	NA
6.	पिछले फाइनेंशियल ईयर में बेचे गए मेन प्रोडक्ट्स/सर्विसेज़ की क्वांटिटी और वैल्यू	FY 2024-25 के ऑडिटेड FS के अनुसार, CD का ऑपरेशन से रेवेन्यू Rs.29.29 करोड़ था
7.	कर्मचारियों/कामगारों की संख्या	CD में अभी 106 कर्मचारी है।
8.	दो साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट (शेड्यूल के साथ), क्रेडिटर्स की लिस्ट समेत और जानकारी URL पर उपलब्ध है:	https://jumbo.cirp.co.in/
9.	समाधान आवेदकों के लिए पात्रता संहिता की धारा 25 (2) (एच) के अंतर्गत URL पर उपलब्ध है:	https://jumbo.cirp.co.in/
10.	रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि	05.11.26
11.	संभावित समाधान आवेदकों की प्रोविजनल लिस्ट जारी करने की तारीख	15.11.26
12.	प्रोविजनल लिस्ट पर ऑब्जेक्शन जमा करने की आखिरी तारीख	20.11.26
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	30.11.26
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स और समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध जारी करने की तिथि	05.12.26
15.	समाधान योजनाएँ जमा करने की अंतिम तिथि	04.01.27
16.	जमा करने के लिए प्रोसेस ईमेल आईडी	cirpjumbofinvest@gmail.com
17.	कॉर्पोरेट देनदार के के तौर पर रजिस्ट्रेशन स्टेटस की जानकारी	NA

-एसडी- शैलेश देसाई
समाधान पेशेवर
आईबीबीआई/आईपीए-001/आईपी-पी00183/2017-18/10362
सी/ओ. हेडवे रिज़ॉल्यूशन एंड इन्सॉल्वेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
708, रहेजा सेंटर, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021
जंबो समृद्धि (इंडिया) लिमिटेड (पहले जंबो फिनवेस्ट (इंडिया) लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के लिए
16 अक्टूबर 2026, मुंबई

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 234/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री नरेश कुमार यादव पुत्र श्री राधेश्याम निवासी हाजीपुर, हाजीपुर अलवर, बानसूर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत श्री श्याम महिला कल्याण ट्रस्ट 575 नाथावाला कुआं बस स्टेण्ड के पास बानसूर जिला कोटपूतली-बहरोड राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 14.10.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 23.12.26
मोहर अदालत सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 762/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि गोपीका कौल निवासी मकान नम्बर 4 सेक्टर 37 नोएडा ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1950 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास टाइनी टॉट्स इंग्लिश स्कूल समिति, प्लॉट नम्बर 3 लालकोठी स्कीन, जयपुर के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 9.10.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 16.12.26
मोहर अदालत सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 757/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री सीताराम सैनी, निवासी 81. रूपनगर 2. नियर राधागोविन्द मंदिर, महेश नगर फाटक, लाल कोठी जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की पारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास गीता देवी सैनी फाउण्डेशन, प्लॉट नम्बर 11 की, सेकण्या फ्लोर, जनकपुरी प्रथम, इमली फाटक जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 13.10.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 18.12.26
मोहर अदालत सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग जयपुर

कार्यालय उपायुक्त (विद्याधर नगर जोन) नगर निगम जयपुर
(अम्बाबाड़ी सर्किल, अम्बाबाड़ी जयपुर)
क्रमांक- एफ-55 ()/वि.जोन/ज.न.नि./2026/2293 दिनांक: 07/10/2026
सार्वजनिक सूचना भूखंड सं. 98-ए, श्रीरामनगर-डी, झोटवाड़ा, जयपुर (भैरव गृह.नि.स.स) का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्री लख सिंह शेखावत पुत्र स्व. श्री लादू सिंह शेखावत के पक्ष में दिनांक 03.03.2014 को क्षेत्रफल 134.88 वर्गगज भूमि का लीज डीड पट्टा जारी किया गया था। प्रकरण में मूल आवंटी श्री लख सिंह शेखावत की दिनांक 30.04.2026 एवं श्रीमती सदा कँवर पत्नी श्री लख सिंह की दिनांक 11.09.2021 को मृत्यु उपरांत श्रीमती कमल कँवर पत्नी श्री महिपाल सिंह एवं श्री भगवान सिंह शेखावत पुत्र स्व. श्री लख सिंह शेखावत ने जरिए पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 20.07.2026 को उक्त भूखंड पर से अपना हक श्री भवानी सिंह पुत्र स्व. श्री लख सिंह शेखावत के पक्ष में हकत्याग कर दिया गया। श्री भवानी सिंह पुत्र स्व. श्री लख सिंह शेखावत ने जरिए पंजीकृत उपहार पत्र दिनांक 03.08.2026 को उक्त भूखंड श्रीमती सुनीता पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत को उपहार कर दिया। आवेदिका श्रीमती सुनीता पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा भूखंड सं. 98-ए, श्रीरामनगर-डी, झोटवाड़ा, जयपुर क्षेत्रफल 134.88 वर्गगज का नाम हस्तांतरण अपने पक्ष में किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। इस बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार नाम हस्तांतरण की कार्यवाही संपादित कर ली जावेगी। उपायुक्त विद्याधर नगर जोन नगर निगम जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 387/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि सुनीता झाला निवासी 116/136 शिप्रा पथ, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत गिरिजन स्वैच्छिक संस्थान कार्यालय पता-116/136 अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 1.10.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 4.12.26
मोहर अदालत सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 471/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री कृष्ण निमायत निवासी एन.एच. 65, एस.एम. निमावत पब्लिक स्कूल फतेहपुर पो. फतेहपुर शेखावाटी, जिला सीकर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत निमावत एज्युकेशन सोसायटी कार्यालय पता-हरिओम टावर, पलेट नं0 2. वैशाली नगर, जयपुर के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 1.10.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 4.12.26
मोहर अदालत सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

संख्यांक 2
विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
नाम न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट पश्चिम जयपुर महानगर द्वितीय
आशीष यादव विरुद्ध राजस्थान राज्य
वाद बाबत सिविल मृत्यु घोषित किये जाने
वाद सं. 278 सन् 2026
नाम जन साधारण ने आपके विरुद्ध के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 29 माह 10. सन् 2026 को दिन में बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हैं, और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो, अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वादकी सुनवाई और उसका निपटा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह आज दिनांक 07 माह 09 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया।
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पश्चिम जयपुर महानगर द्वितीय

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 760/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि राजेश कुमार सेवानी पुत्र श्री ठाकुर दास सेवानी, निवासी फ्लेट नं. डी-201, ब्लॉक, एस डी सी गेटवे अपार्टमेन्ट, कालीदास मार्ग, बनीपार्क, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत जीव सेवा समिति, 208, कंवरनगर, जयपुर ने राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 13.10.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 18.12.26
मोहर अदालत सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
माननीय न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश क्रम 04 जयपुर जिला जयपुर
चंद्रशेखर यादव बनाम अमरचंद व अन्य
दीवानी वाद संख्या रेस्टो.43/26 Nov 43/26
नाम- बलराम सैनी,
निवासी प्लॉट नं. 3 शिव कॉलोनी मुरलीपुरा जयपुर।
दूसरा पता- दुकान नंबर 2, अलंकार प्लाजा, फर्स्ट फलोर, सैन्ट्रल स्पाइप, विद्याधर नगर, जयपुर, राजस्थान।
उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनाक 26.11.2026 को सुबह 10 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आप ता. 8 माह 10 सन् 26 को मेरे हस्ताखर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
मोहर अदालत
प्रस्तुतकार
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-4 जयपुर जिला जयपुर

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda 119
गोपालपुरा बाई पास शाखा, 7, कृष्णा विहार, गोपालपुरा बाई पास, जयपुर, राजस्थान 302015
फोन नं.:0141-2500250, ई-मेल: gopjai@bankofbaroda.co.in

मांग सूचना-सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत

निम्नांकित ऋणियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उन्होने बैंक से लिए गए ऋण की किश्तों एवं उसके ब्याज का समय पर भुगतान नहीं किया अतः उनका खाता एन.पी.ए. में वर्गीकृत हो गया हैं। बैंक द्वारा सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत उनको बैंक रिकॉर्ड के अनुसार उनके अन्तिम ज्ञात पते पर नोटिस जारी किए गए थे जो कि उनके द्वारा प्राप्त नहीं किए जाने के फलस्वरूप पुनः लौटकर आ गए हैं। अतः उनको इस सामान्य नोटिस के द्वारा उक्त अधिनियम के तहत इस बारे में सूचित किया जाता है:

ऋणियों/जमानतदारों का नाम एवं पता	प्रतिभूत आस्तियों/बंधक सम्पत्तियों/दृष्टिबंधक वाहन का विवरण	नोटिस 13(2) की दिनांक	बकाया राशि (नोटिस 13(2) के अनुसार)
स्व. श्री दिलीप कुमार शर्मा पुत्र श्री मुरारी लाल शर्मा **जरिये कानूनी वारिस-** **श्री मुरारी लाल शर्मा पुत्र श्री रामदयाल शर्मा** 38/64, किरण पथ मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान 302020 **श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री मुरारी लाल शर्मा** 38/64, किरण पथ मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान 302020 **श्रीमती अंजलि स्वामी पत्नी स्व. श्री दिलीप कुमार शर्मा** फ्लैट नं. 303, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, गेट नं. 3, शिव ज्योति पार्क के सामने, ज्योति नगर, जयपुर, राजस्थान 302005 एवं 23/110, स्वर्ण पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान 302020 **सुश्री धृति शर्मा पुत्री स्व. श्री दिलीप कुमार शर्मा (श्रीमती अंजलि स्वामी की प्राकृतिक संरक्षकता के माध्यम से)** फ्लैट नं. 303, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, गेट नं. 3, शिव ज्योति पार्क के सामने, ज्योति नगर, जयपुर, राजस्थान 302005 एवं 23/110, स्वर्ण पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान 302020 **सुश्री रम्या शर्मा पुत्री स्व. श्री दिलीप कुमार शर्मा (श्रीमती अंजलि स्वामी की प्राकृतिक संरक्षकता के माध्यम से)** फ्लैट नं. 303, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, गेट नं. 3, शिव ज्योति पार्क के सामने, ज्योति नगर, जयपुर, राजस्थान 302005 एवं 23/110, स्वर्ण पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान 302020	स्व. श्री दिलीप कुमार शर्मा पुत्र श्री मुरारी लाल शर्मा के नाम साम्यिक बंधक दिनांक 15.01.2020 एवं साम्यिक बंधक का विस्तार दिनांक 27.02.2023 मकान नं. 23/110, ब्लॉक नं. 23, स्वर्ण पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 189.00 वर्ग मीटर है। **सीमाएं-** पूर्वः रोड़, पश्चिमः मकान नं. 23/135, उत्तरः मकान नं. 23/109, दक्षिणः मकान नं. 23/111 **सरसाई आईडी: 400038916570** स्व. श्री दिलीप कुमार शर्मा पुत्र श्री मुरारी लाल शर्मा के नाम हाईपोथिकेशन एग्रीमेन्ट दिनांक 23.10.2020 वाहन मारूति स्विफ्ट डिजायर एलएक्सआई, रजिस्ट्रेशन नं. RJ45CM2510, इंजन नं. K12NN9060077, चेचिस नं. MA3CZFB3SLK721948	05.10.2026 **गैर निष्पादक आस्ति (एनपीए) दिनांक** 27.09.2026	दिनांक 05.10.2026 को बकाया राशि रू. 64,20,141.95 (रूपये चौंसठ लाख बीस हजार एक सौ इकतालीस एवं पैसे पचानवे मात्र) (दिनांक 04.10.2026 तक ब्याज शामिल करते हुए) एवं इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे आदि।

इस नोटिस के द्वारा उक्त ऋणियों के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त उधारकर्ताओं को उक्त बकाया राशि इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिवस के भीतर पुनर्भुगतान हेतु आगाह किया जाता है, अन्यथा साठ (60) दिवस की समाप्ति के पश्चात सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत वसूली कार्यवाही की जाएगी। ऋणियों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे बैंक के अधोहस्ताक्षरकर्ता/प्राधिकृत अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस पर 13(2) के अन्तर्गत जारी नोटिस की मूल प्रति प्राप्त कर लेवें।
कर्जदारों का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।
हस्ता.
दिनांक: 15.10.2026 (बलराम मीणा)
स्थान: जयपुर प्राधिकृत अधिकारी एवं मुख्य प्रबंधक

MAHARAJ VINAYAK GLOBAL UNIVERSITY
Dhand, Amer, Jaipur-Delhi N.H.11-C, Jaipur-302028 (Rajasthan)
Estd. under the Act No. 6 / 2012 of the Government of Rajasthan, Notification No. F.2(5) Vidhi/2/2012 dated 21/3/2012

आम सूचना / सार्वजनिक विज्ञप्ति

प्रबंध मण्डल की 30वीं आपातकालीन बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

सर्वसाधारण, विद्यार्थियों, अभिभावकों, कर्मचारियों, बैंकों, सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं तथा संबंधित पक्षों को सूचित किया जाता है कि महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जयपुर के प्रबंध मण्डल (**Board of Management**) की 30वीं आपातकालीन बैठक दिनांक 10 अक्टूबर 2026 को श्री के. एल. मीना, आईएएस (सेवानिवृत्त), की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:

1. अनाधिकृत पदों का उन्मूलनः विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम एवं स्वीकृत नियमों के अंतर्गत अधिकृत नहीं होने वाले मैनेजिंग ट्रस्टी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), NAAC इंजीनियर, निदेशक आदि पदों/पदनामों को समाप्त करने तथा संबंधित अभिलेखों को अद्यतन करने का निर्णय लिया गया।
2. संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाईः प्रबंध मण्डल द्वारा डॉ. विकास जैफ, श्रीमती पिंकी जैफ, डॉ. मनोहर भट्ट, डॉ. योगेश यादव, श्री अनूप यादव, श्री सुमित राय एवं कैप्टन वी. एस. राघव के आचरण, नियुक्तियों, वित्तीय लेन-देन एवं प्राप्त सुविधाओं की जांच तथा ऑडिट कराने का निर्णय लिया गया। आगामी निर्देशों तक उक्त व्यक्तियों को नियमानुसार निलम्बित कर विश्वविद्यालय में अपने संबंधित पदों पर कार्य करने, विश्वविद्यालय की ओर से किसी भी प्रकार के अधिकार, पद अथवा प्रतिनिधित्व का प्रयोग करने तथा विश्वविद्यालय परिसर में अनाधिकृत प्रवेश से रोकने का निर्णय लिया गया है।
3. परिसर की सुरक्षाः विश्वविद्यालय परिसर में अनाधिकृत प्रवेश, हस्तक्षेप एवं शैक्षणिक तथा प्रशासनिक कार्यों में व्यवधान रोकने हेतु कुलपति, कुलसचिव एवं मुख्य सुरक्षा अधिकारी को आवश्यक वैधानिक कार्रवाई तथा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए अधिकृत किया गया।
4. **वित्तीय लेन-देन का केंद्रीकरणः विश्वविद्यालय की समस्त फीस एवं प्राप्तियाँ विश्वविद्यालय के अधिकृत नए बैंक खाते में जमा की जाएँगी तथा पुराने खातों को निष्क्रिय किया जाएगा।** अतः सभी विद्यार्थी एवं अभिभावक विश्वविद्यालय एवं उसके अंतर्गत संचालित कॉलेजों की फीस केवल विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत बैंक खाते में ही जमा कराएँ।
5. विश्वविद्यालय के अधिकृत कार्यालयः विश्वविद्यालय परिसर ढंढ, आमेर, जयपुर, 302028 को भविष्य में विश्वविद्यालय के अधिकृत कार्यालय/पते के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया गया।

अतः सभी संबंधित व्यक्तियों, संस्थाओं, बैंकों एवं प्राधिकरणों से अपेक्षा की जाती है कि विश्वविद्यालय से संबंधित पत्राचार, वित्तीय व्यवहार एवं प्रशासनिक कार्यों में केवल विधिवत अधिकृत पदाधिकारियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्राधिकरणों को ही मान्यता दें।

आदेशानुसार

अध्यक्ष, प्रबंध मण्डल
महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जयपुर